

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांक : एफ-9/सी.ई./परीक्षा/ई-प्रोक/2025/

दिनांक :

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्रथम वरियता प्राप्त छात्र/छात्राओं के स्वर्ण पदक तैयार करवाने हेतु निविदा सूचना क्रमांक एफ-9/सी.ई./परीक्षा/ई-प्रोक/2025/1946 दिनांक 12.03.2025 एवं UBN No. URA2425SLOB00257 के अनुसार ई-निविदा आमंत्रित की गई थी।

उक्त ई-निविदा में M/s META JEWELKRAFTS INDIA PVT. LTD. JAIPUR के प्राप्त ई-बोली दस्तावेजात में अपेक्षित GSTR-3B of the month of January 2025 तथा Annexure-16 (form-B of MSME) प्रस्तुत नहीं करने के कारण एकल फर्म को तकनीकी रूप से अनर्हित घोषित करने पर सन्दर्भित ई-बोली को आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के अनुसरण में उक्त निविदा यथा तकनीकी एवं गैर-तकनीकी में प्राप्त की गई बोलियों को निरस्त की जाती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से स्वीकृत है।

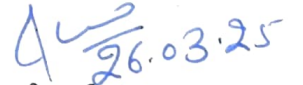

कुलसचिव

क्रमांक : एफ-9/सी.ई./परीक्षा/ई-प्रोक/2025/274-76

दिनांक : 26.3.25

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:-

1. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.uniraj.ac.in पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावे।
2. नोडल ऑफिसर, ई-प्रोक्योरमेंट प्रकोष्ठ, रा.वि.वि., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना <http://sppp.rajasthan.gov.in> एवं eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
3. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव/वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, रा.वि.वि., जयपुर।


परीक्षा नियंत्रक

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांक : एफ-9/सी.ई./परीक्षा/ई-प्रोक/2025/२७३

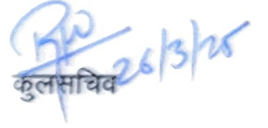
दिनांक : २६-३-२५

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्रथम वरियता प्राप्त छात्र/छात्राओं के स्वर्ण पदक तैयार करवाने हेतु निविदा सूचना क्रमांक एफ-9/सी.ई./परीक्षा/ई-प्रोक/2025/1946 दिनांक 12.03.2025 एवं UBN No. URA2425SLOB00257 के अनुसार ई-निविदा आमंत्रित की गई थी।

उक्त ई-निविदा में M/s META JEWELKRAFTS INDIA PVT. LTD. JAIPUR के प्राप्त ई-बोली दस्तावेजात में अपेक्षित GSTR-3B of the month of January 2025 तथा Annexure-16 (form-B of MSME) प्रस्तुत नहीं करने के कारण एकल फर्म को तकनीकी रूप से अनर्हित घोषित करने पर सन्दर्भित ई-बोली को आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के अनुसरण में उक्त निविदा यथा तकनीकी एवं गैर-तकनीकी में प्राप्त की गई बोलियों को निरस्त की जाती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से स्वीकृत है।


कुलसचिव